न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 202/2012

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. पांचाराम उर्फ पांचीया पुत्र गणेश
   जाति-बावरी, निवासी-बलून्दा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. किशनाराम पुत्र धन्नाराम
2. हड्मान पुत्र भंवरूराम
3. जंवरीलाल पुत्र भंवरूराम
4. देवाराम पुत्र भंवरूराम
5. मुन्नाराम पुत्र भंवरूराम
   जातियान-बावरी निवासीगण-बलून्दा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
6. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.09.10.2012

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायल एवं गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2308 रकबा 48-09 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसके 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार सायल है। तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि गैरसायलान संख्या 01 से 05 की है। नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। उक्त भूमि को आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सायल व गैरसायलान की उक्त भूमि मौके पर वर्षो पूर्व से ही अलग अलग बंटी हुई हैं। सायल अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। तथा शेष 1/2 हिस्से कि भूमि गैरसायलान की कब्जे काश्त की है। उक्त भूमि मौके पर अलग अलग बंटी हुई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में शामलाति है। भूमि शामलाति होने की वजह से आये दिन मौके पर जमीन के नाप-चौप को लेकर वाद विवाद व झगडा कर रहे है। जबकि सायल अपने हक हिस्से की भूमि पर आधूनिक तरीके से काश्त करना चाह रहे हैं एवं सायल अपने हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व खाद आदि डालकर कुआं भी खुदवाना चाह रहा हैं, जिस बाबत सायल को ऋण की आवश्यकता होने से उसने इस बाबत किसान केडिट कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ाये जाने की भी आवश्यकता है लेकिन भूमि शामलाति होने की वजह से सायल
। भारी परेशानी हो रही है। सायल गैरसायलान से कई बार बाई मिट्स एण्ड
डस बंटवाड़ा करवाये जाने बाबत कहा, तो गैरसायलान दिनांक 10/09/2012
ो ऐसा बंटवाडा करवाने से ईन्कार हो गये। तब ऐसी परिस्थितियों में सायल के
ास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरुद्ध
ैरसायलान की पेश है। विवादित भूमि सायल व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाति
है। गैरसायलान संख्या में अधिक है तथा सायल अकेला व्यक्ति है। भूमि शामलाति
होने की वजह से गैरसायलान की नियत खराब हैं। वह आये दिन सायल के हक
हिस्से की भूमि की माठ तोड देते है व सायल की खडी फसल को भी नुक्सान पहूचा
रहे है। कई बार समझाने के बावजूद भी गैरसायलान नही मान रहे हैं एवं
गैरसायलान स्पष्ट कथन कर रहे हैं कि तुझ सायल अकेले को इतनी जमीन नही
भोगने देंगे। रेकर्ड में जितने व्यक्तियों के नाम हैं, सबका हिस्सा बराबर करेंगे जबकि
गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक
10/09/2012 को गैरसायलान ने ऐसा बंटवाडा करने से ईन्कार करने के बाद अभी
तक गैरसायलान ने कई बार विवाद किया हैं एवं मौके से सायल को बेदखल करने
व सायल की खडी फसल काट लेने की एलानिया धमकी दी। यदि गैरसायलान ऐसा
दुष्कृत्य करने में सफल हो गये थे। सायल को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति
किसी भी कदर संभव नही होगी एवं सायल गैरसायलान के ऐसा अवैधानिक कृत्यों
का विरोध करेगें, जिससे मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स
होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही
रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश
किया है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के
आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायला के पक्ष में प्रमाणित है।
यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायल को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती
बेदखल कर दिया या सायल के हक हिस्से में हस्तक्षेप व दखलंदाजी की तो सायल
को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं
होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता हैं। इसलिये सुविधा का
संतुलन के पक्ष में प्रमाणित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते
जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया
गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा में पेश हुई।
वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने
के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में
न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09/10/2012 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो
चुकी हैं। सायल की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त विवादित भूमि की
वर्तमान मौके की स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द
किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में सायल एवं गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2308 रकबा 48–09 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में सायल के हिस्से की भूमि की रेकर्ड मौके की स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद निर्णय तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र–बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner